

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी- /2017/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैण्ड	ग्रेड पे
1.	श्री राजेन्द्र कुमार जांगिड, वरिष्ठ सहायक, झुन्झुनू।	26.10.1990	27 वर्ष	26.10.2017	9300-34800	4200
2.	श्री विली जॉनसन कैनेडी, वरिष्ठ सहायक, जोधपुर।	11.10.1990	27 वर्ष	11.10.2017	9300-34800	4200
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	24.07.1999	18 वर्ष	24.07.2017	9300-34800	3600
4.	श्रीमति अनुराधा गोयल, कनिष्ठ सहायक, बीकानेर।	21.08.1999	18 वर्ष	21.08.2017	9300-34800	3600
5.	श्री गौतम चन्द पालीवाल, वरिष्ठ सहायक, पाली।	07.09.1999	18 वर्ष	07.09.2017	9300-34800	3600

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

राज0 जयपुर

दिनांक : 01/12/17

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-18/2017/2504

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/पाली/झुन्झुनू।
2. उप मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी,(प.क.)बीकानेर।
3. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा0 अधिकारी, जोधपुर।
4. प्रमुख चिकि.अधिकारी, जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, सुमेरपुर, पाली।
6. संबन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

राज0 जयपुर